

**अधिसूचना संख्या 209/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1996(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.604(ई), दिनांक 20 मई, 2004 द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने क्रम संख्या 10 पर, "एच.बी.एस. ट्रस्ट, (मानव लाभ सेवा ट्रस्ट) 21-सी, प्रथम तल, रातानाडा, जोधपुर - 342001, (राजस्थान)" द्वारा "विद्यालय और अस्पताल की स्थापना और संचालन" को वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था, जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ.484(ई), दिनांक 29 मार्च, 2007 द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2910(ई), दिनांक 17 नवम्बर, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2416(ई) दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के बारह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

■ ■